

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY

खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur, 313001

दूरभाष/Phones : 2415091-95, ई-मेल/E-mail: adghq.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक:— निदे/प.2/कास/नियम/2019/

दिनांक: /07/2025

परिपत्र

शासन की अधिसूचना दिनांक 28.02.2017 के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 जारी की गई है, जिसमें शिड्यूल VI Delegation of Powers के तहत नियम 29 के प्रावधानों अनुसार खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों/अल्पावधि अनुमति पत्रों में माईन प्लान/माईनिंग स्कीम/सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम/माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन हेतु वृत्त के अधीक्षण खनि अभियन्ताओं तथा खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

उपरोक्त के क्रम में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: निदे/प.2/कास/नियम/2019/796 दिनांक: 27/05/2019 के अतिक्रमण में इस परिपत्र के माध्यम से खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों/अल्पावधि अनुमति पत्रों में प्राप्त होने वाले माईन प्लान/माईनिंग स्कीम/सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम/माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन किये जाने के पूर्व उनका मौका निरीक्षण एवं सत्यापन किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:—

क्र. सं.	अनुमोदन करने हेतु अधिकृत अधिकारी का पदनाम	धन्यमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का विवरण	मौका निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु अधिकृत अधिकारी का पदनाम
1	वृत्त के अधीक्षण खनि अभियन्ता	नियम 29 submission and approval of mining plan/mining scheme/simplified mining scheme for mining lease and simplified mining scheme for quarry licence having area more than 1.00 hectare.	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता एवं संबंधित अधीक्षण भूवैज्ञानिक/वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
2	खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता	नियम 29 submission and approval of simplified mining scheme for quarry licence having area upto 1.00 hectare, short term permit and permit.	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता

वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों के स्वतंत्र कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में मौका निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु संबंधित वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अधिकृत होंगे।

(दीपक तंवर)

निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar

Designation : Director

Date: 2025.07.31 01:50:38 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16768767

eSign 1.0



क्रमांक:— निदे/प.2/कास/नियम/2019/

दिनांक: /07/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)।
4. वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर।
5. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता।
6. समस्त अधीक्षण भूवैज्ञानिक।
7. समस्त खनि अभियन्ता।
8. समस्त वरिष्ठ भूवैज्ञानिक।
9. समस्त सहायक खनि अभियन्ता।
10. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
11. डी.सी., उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ग्रेनाईट।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.07.31 01:50:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16768767

eSign 1.0